R.N.R.

एन.के. सोढ़ी और जसबीर सिंह, न्यायमूर्ति

माता सुदर्शन तिलक राज धवन शैक्षिक ट्रस्ट-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. 2001 का क्रमांक 11923,

7 जनवरी 2002

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987--अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (नए तकनीकी संस्थान शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान करना, *पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों की शुरूआत और पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के लिए सीटों की प्रवेश क्षमता की मंजूरी) विनियम, 1994-एमडीयू द्वारा बनाए गए क़ानून-संविधि 38 खंड के 4-एआईसीटीई नए तकनीकी पाठ्यक्रमों की स्थापना के लिए शैक्षणिक संस्थानों को मंजूरी प्रदान करता है या छात्रों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि - क़ानून 38 के खंड 4 में प्रावधान है कि नए विषयों/पाठ्यक्रमों को शुरू करने या एक नया कॉलेज शुरू करने के लिए सभी आवेदनों के साथ सरकार से एनओसी संलग्न की जाएगी, जिसके बिना किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले संस्थान-विश्वविद्यालयों की संबद्धता में गिरावट-इसे चुनौती-कानून 38 का खंड 4 केंद्रीय अधिनियम के प्रतिकूल है क्योंकि यह तकनीकी संस्थानों से संबंधित है और, इस प्रकार, शून्य-राज्य सरकार के पास कोई नहीं है एआईसीटीई द्वारा अनुमोदन दिए जाने पर एनओसी देने से इनकार करने की शक्ति - विश्वविद्यालयों को एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित नए पाठ्यक्रमों को मान्यता देने/संबद्धता प्रदान करने/संस्थानों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने का निर्देश देने की अनुमति दी गई है।*

माना गया कि राज्य ऐसे किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लेख नहीं कर सका जिसके तहत किसी तकनीकी संस्थान को कॉलेज चलाना शुरू करने से पहले राज्य से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना आवश्यक था। जैसा कि जया गोकुल एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त और सचिव, तिरुवनंतपुरम और अन्य, जेटी 2000 (5) एससी 118 में सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य द्वारा देखा गया था, भले ही ऐसा कोई प्रावधान होता, तो भी ऐसा ही होता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

अधिनियम के प्रतिकूल है और उस सीमा तक शून्य होगा। इस प्रकार, विश्वविद्यालय द्वारा याचिकाकर्ता से राज्य सरकार से एनओसी लाने के लिए कहना पूरी तरह से अनुचित था और उस आधार पर संबद्धता प्रदान न करना भी उतनी ही बड़ी गलती थी।

इसके अलावा, क़ानून के खंड 4 के उस नोट में कहा गया है कि एक नया कॉलेज/संस्थान शुरू करने के लिए, या एक नया विषय/पाठ्यक्रम या अध्ययन के पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए, आवेदक के लिए निदेशक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। , उच्च शिक्षा, जिसके बिना संबद्धता के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, जहां तक यह तकनीकी संस्थानों से संबंधित है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम के प्रतिकूल है और उस सीमा तक शून्य है।

(पैरा 16)

(पैरा 11)

एम.एल. सरीन, वरिष्ठ. अधिवक्ता सी.एम. मुंजल, एडवोकेट, के लिए *याचिकाकर्ता.*

सूर्यकांत महाधिवक्ता हरियाणा, इसके साथ ही संजय विशिष्ट के उप महाधिवक्ता हरियाणा प्रतिवादी. 1 और 2. के लिए

वी.के. जैन वरिष्ठ अधिवक्ता और जे.एल. मल्होत्रा, अधिवक्ता। प्रतिवादी संख्या 3 के लिए

आर.के. मलिक, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 के लिए

निर्णय

एन.के. सोढ़ी, न्यायमूर्ति

(1) 2001 की दस सिविल रिट याचिकाओं संख्या 11923 से 11925, 13674, 14153 से 14156, 15229 और 16198 के इस समूह में, जिन्हें एक साथ निपटाया जा रहा है, कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न उठते हैं जिनके निर्धारण के लिए तथ्यों का उपयोग किया जा रहा है। 2001 के सीडब्ल्यूपी 11923 से लिया गया। इन सभी मामलों में

याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य में शैक्षणिक संस्थान चला रहे हैं और उन्होंने अखिल भारतीय, तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (इसके बाद एआईसीटीई के रूप में संदर्भित) की स्थापना के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है। नए तकनीकी पाठ्यक्रम या पहले से चल रहे पाठ्यक्रमों में छात्रों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए। उनकी आम शिकायत यह है कि हरियाणा राज्य उन्हें 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जारी नहीं कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध विश्वविद्यालय नए स्थापित पाठ्यक्रम या एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित बढ़ी हुई सीटों के लिए संबद्धता देने से इनकार कर रहा है।

2001 का सीडब्ल्यूपी 11923।

(2) याचिकाकर्ता सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है और जगाधरी में एक स्व-वित्तपोषित इंजीनियरिंग कॉलेज चला रही है जिसे हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यह कॉलेज वर्ष 1998-99 से चल रहा है। याचिकाकर्ता ने शैक्षणिक वर्ष 2001-2002 से मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (एमसीए) नामक एक नया पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए हरियाणा सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, जगाधरी के नाम और शैली के तहत एक नया तकनीकी संस्थान स्थापित करने के लिए एआईसीटीई को अनुमोदन के लिए आवेदन किया था। . 28 जून, 2001 के पत्र द्वारा, एआईसीटीई ने 40 छात्रों के प्रवेश क्षमता वाले एमसीए पाठ्यक्रम के लिए नए कॉलेज की स्थापना के लिए याचिकाकर्ता को अपनी मंजूरी दे दी। यह कोर्स डिग्री स्तर पर तीन साल का पूर्णकालिक कार्यक्रम है। अनुमोदन इस शर्त के अधीन दिया गया था कि प्रवेश केवल हरियाणा सरकार द्वारा केंद्रीय परामर्श के माध्यम से और एआईसीटीई द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार किया जाएगा जैसा कि **उन्नी कृष्णन जेपी और अन्य बनाम राज्य आंध्र प्रदेश और अन्य** (1),[1] मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निर्धारित किया गया था। और प्रबंधन किसी भी परिस्थिति में छात्रों को सीधे प्रवेश नहीं देगा। अनुमोदन केवल एक शैक्षणिक सत्र 2001-2002 के लिए था और अनुमोदन पत्र में यह निर्धारित किया गया था कि शैक्षणिक सत्र के अंत से पहले एक विशेषज्ञ समिति यह आकलन करने के लिए संस्थान का दौरा करेगी कि एआईसीटीई द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों को पूरा किया जा रहा है या नहीं। इसके बाद ही इसे जारी रखने या अन्यथा सूचित किया जाएगा। आगे यह निर्धारित किया गया था कि एआईसीटीई द्वारा निर्धारित नियमों, दिशानिर्देशों या मानदंडों

[1] जेटी 1993 (1) एससी 474

और मानकों के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन/उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति में, अनुमोदन वापस ले लिया जाएगा। अनुमोदन पत्र की एक प्रति निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई थी। रजिस्ट्रार, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र (संक्षेप में विश्वविद्यालय) को एक प्रति इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वह प्रवेश की सुविधा के लिए संबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करे। यह उल्लेख किया जा सकता है कि अनुमोदन पत्र जारी करने से पहले, एआईसीटीई ने 20 अप्रैल, 2001 को याचिकाकर्ता को एक व्यवहार्यता पत्र जारी किया था जिसमें याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि एक नए तकनीकी संस्थान की स्थापना के लिए उसका प्रस्ताव स्वीकार्य पाया गया है। आवेदन पत्र में दिए गए विवरण और संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर। याचिकाकर्ता को कुछ प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का पालन करना आवश्यक था जो उसने किया। व्यवहार्यता पत्र की प्राप्ति के तुरंत बाद याचिकाकर्ता ने 27 अप्रैल, 2001 को निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हरियाणा को एक पत्र लिखकर उनसे राज्य सरकार का आवश्यक 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी करने का अनुरोध किया ताकि संस्थान प्रभावी ढंग से काम करना शुरू कर सके। शैक्षणिक सत्र 2001-2002 से। इसी तरह, विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कॉलेजेज को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित नए कॉलेज को संबद्धता प्रदान की जाए। चूंकि याचिकाकर्ता को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए उसने 6 अगस्त, 2001 को विश्वविद्यालय को एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें कहा गया कि उसे एक नया 40 छात्रों की प्रवेश क्षमता हरियाणा सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान के नाम और शैली के तहत एमसीए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एआईसीटीई से मंजूरी मिल गई है। और अनुमोदन पत्र की एक प्रति राज्य सरकार और विश्वविद्यालय को संबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भेज दी गई है। यह भी बताया गया कि शैक्षणिक सत्र 2001-2002 के लिए पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 16 अगस्त, 2001 से शुरू होनी थी और इसलिए, अनुरोध किया गया था कि छात्रों को नए कॉलेज में प्रवेश के लिए भी चुना जाए। याचिकाकर्ता. यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि हरियाणा राज्य के सभी संस्थानों के लिए शैक्षणिक सत्र 2001-2002 के लिए एमसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था, जिसने आदेश के अनुसार एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर छात्रों की काउंसलिंग की थी। हरियाणा राज्य द्वारा आयोजित किया जाएगा। याचिकाकर्ता द्वारा किए गए

अभ्यावेदन के बावजूद, विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग के लिए हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित नया कॉलेज) का नाम शामिल नहीं किया और तब यह अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिका थी। सम्बद्धता और 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' न देने में विश्वविद्यालय और राज्य सरकार की कार्रवाई को क्रमशः चुनौती देते हुए संविधान दायर किया गया था। विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता संस्थान का नाम भी काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया ताकि शैक्षणिक सत्र 2001-02 के लिए उसके (याचिकाकर्ता) द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए छात्रों का चयन किया जा सके।

(3) यह रिट याचिका पहली बार 13 अगस्त, 2001 को सुनवाई के लिए आई जब प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया और उप महाधिवक्ता को हरियाणा राज्य और निदेशक, तकनीकी शिक्षा की ओर से उपस्थित होने के लिए कहा गया। विश्वविद्यालय और उसके अध्यक्ष, कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग विभाग को 16 अगस्त, 2001 को निर्धारित काउंसलिंग के समय याचिकाकर्ता संस्थान के लिए छात्रों का चयन करने का निर्देश दिया गया था। यह निर्देश दिया गया था कि चयनित छात्रों को अगले आदेश तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(4) इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के जवाब में, उत्तरदाताओं ने अपने वकील के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई। विश्वविद्यालय ने कोई जवाब दाखिल नहीं करने का फैसला किया है। इसका प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा राज्य सरकार से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करने के बाद ही संबद्धता दी जा सकती है। चूँकि वह आगामी नहीं था इसलिए संबद्धता प्रदान नहीं की गई थी। हालाँकि, कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग विभाग के अध्यक्ष ने एक संक्षिप्त उत्तर दायर किया है जिसमें कहा गया है कि काउंसलिंग केवल उन्हीं संस्थानों के लिए आयोजित की गई थी जिनके नाम विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें भेजे गए थे जिनके लिए छात्रों का चयन किया जाना था। चूंकि उस सूची में याचिकाकर्ता के संस्थान का नाम शामिल नहीं था, इसलिए उस कॉलेज में प्रवेश के लिए छात्रों का चयन नहीं किया जा सका, लेकिन इस अदालत द्वारा जारी अंतरिम निर्देशों के अनुपालन में याचिकाकर्ता के संस्थान का नाम भी शामिल किया गया और छात्रों का चयन याचिकाकर्ता की संस्था के लिए भी किया गया ।

(5) श्री के.एम. नाथ, संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, हरियाणा ने उत्तरदाताओं नंबर 1 और 2 की ओर से याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन के अनुसार 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी नहीं करने की राज्य सरकार की कार्रवाई को उचित ठहराते हुए जवाब दाखिल किया। ऐसा कहा जाता है कि एआईसीटीई को केवल संबंधित एजेंसियों के परामर्श से नए तकनीकी संस्थानों को मंजूरी देने और नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने की शक्ति दी गई है और इसने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अनुमोदन प्रदान करना) नामक अपने नियम तैयार किए हैं। नए तकनीकी संस्थान शुरू करना, पाठ्यक्रम या कार्यक्रम शुरू करना और पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के लिए सीटों की प्रवेश क्षमता का अनुमोदन) विनियम, 1994 (इसके बाद विनियम के रूप में संदर्भित)। इन विनियमों के तहत, एआईसीटीई ने नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विभिन्न संस्थानों से प्राप्त आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए एक विशेषज्ञ समिति, राज्य स्तरीय समिति और केंद्रीय कार्य बल का गठन किया है। उत्तरदाताओं के अनुसार, विशेषज्ञ समिति में राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि और विश्वविद्यालय का एक नामित व्यक्ति शामिल होना चाहिए, लेकिन इस संबंध में विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया। ऐसा कहा जाता है कि चूंकि एआईसीटीई ने अपने स्वयं के नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए राज्य सरकार पूर्व द्वारा अनुमोदित नए संस्थानों को 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी करने के लिए बाध्य नहीं थी। लिखित बयान में यह भी कहा गया है कि एआईसीटीई हर साल 4 से 5 महीने की अवधि के भीतर देश भर में सैकड़ों नए पेशेवर संस्थानों को मंजूरी देने का एक बड़ा काम करता है और उसके पास स्वयं में सूक्ष्म स्तर की आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। वित्तीय संस्थान. राज्य सरकार के अनुसार, एआईसीटीई ने मशीनरी, उपकरण, पुस्तकालय पुस्तकों, प्रशिक्षित शिक्षण संकाय की उपलब्धता और अन्य सहायक कर्मचारियों के संदर्भ में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानदंडों और विश्वविद्यालय के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई निरीक्षण तंत्र विकसित नहीं किया है, जिसकी कमी राज्य सरकार के लिए कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करती है। उत्तरदाताओं के अनुसार, यही कारण है कि विनियमों में प्रावधान किया गया है कि एआईसीटीई राज्य सरकार और संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालय से परामर्श करने के बाद मंजूरी देगी ताकि ये एजेंसियां एआईसीटीई/विश्वविद्यालय दिशानिर्देशों/मानदंडों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर सकें। राज्य सरकार द्वारा की गई एक और शिकायत यह है कि

पिछड़े क्षेत्रों सहित पूरे राज्य में व्यावसायिक संस्थानों का समान वितरण सुनिश्चित करना उसका कर्तव्य है ताकि सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जा सकें और इसलिए, यह आवश्यक है कि राज्य सरकार कोई भी मंजूरी देने से पहले एआईसीटीई से परामर्श किया जाता है। संक्षेप में, राज्य सरकार की प्राथमिक शिकायत यह है कि जब याचिकाकर्ता की संस्था को एमसीए पाठ्यक्रम के लिए एक नया कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी गई तो एआईसीटीई ने उससे परामर्श नहीं किया।

(6) हमने पक्षों के वकील सुने हैं।

(7) जब यह याचिका 4 सितंबर, 2001 को सुनवाई के लिए आई, तो विद्वान उप महाधिवक्ता ने हमारे सामने दृढ़तापूर्वक आग्रह किया कि राज्य सरकार और विश्वविद्यालय, जो वर्तमान मामले में संबद्ध विश्वविद्यालय है, को मंजूरी देने से पहले एआईसीटीई द्वारा परामर्श नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता को एमसीए पाठ्यक्रम के लिए एक नया कॉलेज स्थापित करने के लिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के संस्थान के पास अपेक्षित बुनियादी ढांचा नहीं है और इसलिए एआईसीटीई द्वारा मंजूरी देना उचित नहीं है। यह तर्क दिया गया कि यदि राज्य सरकार या संबद्ध विश्वविद्यालय से परामर्श किया गया होता तो उन्होंने याचिकाकर्ता के संस्थान में सुविधाओं की कमी के बारे में बताया होता। श्री एम.एल. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील सरैन ने राज्य के वकील द्वारा दी गई दलीलों का जोरदार खंडन किया और एआईसीटीई की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने भी इस संबंध में श्री सरीन का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पास आवश्यक बुनियादी ढांचा है और एआईसीटीई ने 1 जून, 2001 को विशेषज्ञों की अपनी निरीक्षण टीम भेजी थी, जिसने पाया कि याचिकाकर्ता के पास आवश्यक बुनियादी सुविधाएं थीं, जिसके आधार पर मंजूरी दी गई थी। चूँकि पक्षों के बीच इस बात को लेकर गंभीर विवाद था कि याचिकाकर्ता के पास अपेक्षित बुनियादी ढाँचा है या नहीं, हमने अपने आदेश दिनांक 7 सितंबर, 2001 द्वारा एआईसीटीई को राज्य सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया। विश्वविद्यालय। हमने आगे उस समिति को याचिकाकर्ता की संस्था का संयुक्त निरीक्षण करने का निर्देश दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसके पास तीन न साल के एमसीए पाठ्यक्रम का पहला वर्ष शुरू करें जिसके लिए एआईसीटीई द्वारा मंजूरी दी गई आवश्यक

बुनियादी ढांचा है या नहीं समिति को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। हमें वह रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और विशेषज्ञ समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करने पर 40 सीटों के लिए शैक्षणिक सत्र 2001-02 से एमसीए पाठ्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दे दी है: -

(i) प्राचार्य की नियुक्ति जल्द से जल्द एआईसीटीई/विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार की जानी चाहिए।

(ii) कम से कम दो पत्रिकाएँ और कुछ और पत्रिकाएँ जोड़ी जानी चाहिए। इस रिपोर्ट के आने के बाद याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर कहा है कि इन दोनों शर्तों का भी पालन किया गया है. रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलेगा कि याचिकाकर्ता के पास एमसीए पाठ्यक्रम चलाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा है।

(8) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सरीन ने तर्क दिया कि एक नए तकनीकी संस्थान को शुरू करने की अनुमति देने की शक्ति विशेष रूप से एआईसीटीई के पास निहित है और जब एआईसीटीई के पास 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' है तो राज्य सरकार के पास 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' देने से इनकार करने की कोई शक्ति नहीं है। नया कोर्स शुरू करने की मंजूरी दी गई। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त करने की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है और इसलिए, विश्वविद्यालय को नया एमसीए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता के संस्थान को संबद्धता प्रदान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। उन्होंने नए पाठ्यक्रम के लिए संबद्धता न देने की विश्वविद्यालय की कार्रवाई पर भी आपत्ति जताई, जिसके लिए एआईसीटीई द्वारा मंजूरी दी गई थी। इस संबंध में **तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम अधियमन एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और अन्य** [2](2) और **जया गोकुल एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम सरकारी उच्च शिक्षा विभाग, तिरुवनंतपुरम के आयुक्त और सचिव एक और (3)** [3]के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया गया था। और **आर.एन. गुप्ता टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी, गुड़गांव बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (4)**[4]में इस न्यायालय की हालिया डिवीजन बेंच के फैसले पर भी। । हमने इन निर्णयों

[2] जेटी 1995 (3) एससी 136
[3] जेटी 2000 (5) एससी 118
[4] 2000 (4) आरएसजे 322

को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और हमारा मानना है कि ये याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दिए गए तर्क का पूर्ण समर्थन करता है। अधियामन एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मामले (सुप्रा) में, राज्य सरकार ने वर्ष 1984 में निजी प्रबंधन को स्व-वित्तपोषण योजना के तहत नए इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू करने की अनुमति दी थी, जिसके अनुपालन में प्रतिवादी को 9 जून, 1987 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। शैक्षणिक वर्ष 1987-88 से एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ करें। इस अनुमति के आधार पर प्रतिवादी ने कॉलेज को संबद्धता देने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय में आवेदन किया। शैक्षणिक वर्ष 1987-88 के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान की गई और कॉलेज ने जुलाई 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया। शैक्षणिक वर्ष 1988-89 के लिए संबद्धता बढ़ा दी गई। राज्य सरकार द्वारा गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने राज्य के निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों का दौरा किया और पाया कि प्रतिवादी ने अनुमति देते समय सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों को पूरा नहीं किया था। इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, तकनीकी शिक्षा निदेशक ने प्रतिवादी को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न दी गई अनुमति वापस ले ली जाए। विश्वविद्यालय ने भी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और शैक्षणिक वर्ष 1989-90 के लिए अनंतिम संबद्धता के लिए प्रतिवादी के अनुरोध को अस्वीकार करने का निर्णय लिया और कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया कि क्यों न पहले दो वर्षों के लिए दी गई संबद्धता रद्द कर दी जाए। तभी प्रबंधन ने उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाएँ दायर कीं; एक, तकनीकी शिक्षा निदेशक को उनके कारण बताओ नोटिस के साथ आगे बढ़ने से रोकने के लिए और दूसरा, संबद्धता रद्द करने के विश्वविद्यालय सिंडिकेट के प्रस्ताव को रद्द करने और उसे प्रदान करने का निर्देश देने के लिए। जब तक उसमें विवादित आदेश पारित किए गए तब तक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (संक्षेप में केंद्रीय अधिनियम) लागू हो चुका था। उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने राज्य सरकार के खिलाफ रिट याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि केंद्रीय अधिनियम के पारित होने के बाद राज्य सरकार के पास ट्रस्ट को दी गई अनुमति को रद्द करने की कोई शक्ति नहीं है, जो शक्ति विशेष रूप से एआईसीटीई के पास थी। विश्वविद्यालय के खिलाफ निर्देशित अन्य रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि विश्वविद्यालय मद्रास विश्वविद्यालय अधिनियम, 1923 के तहत बनाए गए अपने क़ानून के तहत कार्रवाई कर सकता है। सभी पक्षों ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी। डिवीजन बेंच ने प्रतिवादी की रिट अपील को स्वीकार कर लिया और यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के प्रस्ताव को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यूनिवर्सिटी भी *संबद्धता का विस्तार*

इनकार नहीं कर सकती। विद्वान एकल न्यायाधीश के अन्य निष्कर्षों की पुष्टि की गई। इसके बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में ले जाया गया और उनके आधिपत्य ने डिवीजन बेंच के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि एआईसीटीई एकमात्र प्राधिकारी है जो केंद्रीय अधिनियम और प्रावधानों के लागू होने के बाद किसी कॉलेज को दी गई अनुमति को रद्द कर सकता है। राज्य अधिनियम जो केंद्रीय अधिनियम के प्रतिकूल थे, उस सीमा तक शून्य थे। यह भी माना गया कि मद्रास विश्वविद्यालय अधिनियम, जो विश्वविद्यालय को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले इंजीनियरिंग संस्थानों को असंबद्ध करने की शक्ति देता था, केंद्रीय अधिनियम के साथ टकराव में था और उस हद तक शून्य था।

(9) **जया गोकुल एजुकेशनल ट्रस्ट के मामले (सुप्रा)** में जो प्रश्न सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य के समक्ष उठे, वे इस प्रकार थे: -

> "(1) क्या तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम अधियामन एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और अन्य में इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, एआईसीटीई अधिनियम, 1987 के प्रावधानों ने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और आगे की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक नहीं था सरकार या अन्य प्राधिकारी का? क्या केरल राज्य में कोई क़ानून, यदि उसे ऐसी मंजूरी की आवश्यकता है, शून्य हो जाएगा?
>
> (2) क्या राज्य सरकार द्वारा पारित अस्वीकृति के आदेश योग्यता के आधार पर वैध थे और क्या विश्वविद्यालय को केवल एआईसीटीई की अनुमति के आधार पर संबद्धता जारी रखने के लिए आगे के आदेश देने चाहिए थे?"

बॉट द्वारा इन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया गया:-

बिंदु 1:

> "इस प्रकार, हम वर्तमान मामले में मानते हैं कि राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं थी और अगर कोई थी भी, तो यह एआईसीटीई अधिनियम के प्रतिकूल होगी। विश्वविद्यालय क़ानून 9(7) केवल इसकी आवश्यकता है संबद्धता प्रदान करने से पहले राज्य सरकार के विचार प्राप्त किए जाएं और यह अनुमोदन प्राप्त करने के बराबर नहीं है विश्वविद्यालय

क़ानून के अनुमोदन की आवश्यकता है, यह एआईसीटीई अधिनियम के प्रतिकूल होता। बिंदु 1 तदनुसार तय किया गया है।"

बिंदु 2:

"इस प्रकार, विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से किसी अनुमोदन की प्रतीक्षा किए बिना अंतिम या आगे की संबद्धता देने पर विचार करना चाहिए था और एआईसीटीई द्वारा दी गई अनुमति और विश्वविद्यालय अधिनियम या क़ानून में अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर कार्य करना चाहिए था, जो एआईसीटीई अधिनियम या उसके विनियमों के साथ असंगत नहीं हैं।"

इसमें देखा जाएगा कि जो सवाल हमारे सामने उठा है उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया है.

(10) *आर.एन. गुप्ता* के मामले (सुप्रा) में, राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के आधार पर एक तकनीकी संस्थान से संबद्धता कम करने के विश्वविद्यालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त निर्णयों के बाद रद्द कर दिया गया था।

(11) विद्वान महाधिवक्ता की ओर से उपस्थित होना राज्य किसी तकनीकी प्रावधान के तहत कोई वैधानिक प्रावधान नहीं बता सका संस्थान को 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना आवश्यक था इससे पहले कि वह कॉलेज चलाना शुरू कर सके, राज्य। जैसा कि उनके द्वारा देखा गया जया गोकुल एजुकेशनल ट्रस्ट में सर्वोच्च न्यायालय का आधिपत्य मामला (सुप्रा), भले ही ऐसा कोई प्रावधान था, वही अखिल भारतीय तकनीकी परिषद् के लिए प्रतिकूल होता शिक्षा अधिनियम उस सीमा तक शून्य होता। इस दृश्य में इस मामले में, हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि विश्वविद्यालय याचिकाकर्ता से 'अनापत्ति' प्रस्तुत करने के लिए कहना पूरी तरह से अनुचित था 'राज्य सरकार से प्रमाणपत्र' और इसमें समान रूप से त्रुटि थी उस आधार पर सम्बद्धता प्रदान नहीं करना। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, जब मामले की सुनवाई 4 सितंबर, 2001 को हुई थी, हमें सूचित किया गया था कि याचिकाकर्ता की संस्था के पास अपेक्षित ढांचागत सुविधाएं नहीं थीं पाठ्यक्रम चलाने के लिए और इसलिए, हमने एआईसीटीई को निर्देश दिया संस्था के प्रतिनिधियों को अपने साथ जोड़कर निरीक्षण किया राज्य सरकार और विश्वविद्यालय. वह समिति, पहले से ही ने अवलोकित कर अपनी रिपोर्ट भेजी है जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता की संस्था के पास ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं इसलिए, हमें रिट याचिका को अनुमति देने और विश्वविद्यालय को

एआईसीटीई द्वारा दी गई मंजूरी के आधार पर संस्थान को संबद्धता देने का निर्देश देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

(12) निष्कर्ष निकालने से पहले हम विद्वान महाधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति पर ध्यान दे सकते हैं। हमारे सामने दृढ़तापूर्वक यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता की संस्था को मंजूरी देने से पहले राज्य सरकार को एआईसीटीई द्वारा कभी भी संबद्ध नहीं किया गया था। इस तथ्य पर याचिकाकर्ता और एआईसीटीई दोनों ने हमारे सामने गंभीरता से विवाद किया है। लगाए गए आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एआईसीटीई ने संबंधित राज्य सरकार और संबद्ध विश्वविद्यालय के परामर्श के आधार पर और इसके द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर माता सुदर्शन तिलक राज धवन एजुकेशनल ट्रस्ट को एक नया एमसीए कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी थी। . राज्य सरकार से परामर्श किया गया या नहीं, यह सवाल हमारे सामने नहीं है क्योंकि राज्य ने एआईसीटीई की कार्रवाई को चुनौती नहीं दी है। याचिकाकर्ता जिसने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है, वह केवल एआईसीटीई द्वारा दी गई मंजूरी के आधार पर पाठ्यक्रम को संबद्धता देने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देश देना चाहता है। इसलिए, हमारे लिए यह तय करना जरूरी नहीं है कि राज्य सरकार से परामर्श किया गया था या नहीं। यदि और जब राज्य किसी याचिका में ऐसा मुद्दा उठाता है तो उस पर कानून के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

(13) परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है और विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता के संस्थान को संबद्धता प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है। जिन छात्रों को प्रवेश के लिए चुना गया था, उन्हें इस न्यायालय के आदेश के तहत पहले ही प्रवेश दिया जा चुका है और पाठ्यक्रम शुरू हो चुका है। विश्वविद्यालय अब नए एमसीए कॉलेज को संबद्धता प्रदान करेगा ताकि प्रवेशित छात्र नियमों के अनुसार परीक्षा दे सकें।

2001 का सीडब्ल्यूपीएस 11924 और 11925

(14) इन मामलों में भी याचिकाकर्ताओं को शैक्षणिक वर्ष 2001-02 के लिए नए एमसीए कॉलेज की स्थापना के लिए एआईसीटीई द्वारा मंजूरी दी गई थी और महर्षि दयानंद

विश्वविद्यालय, रोहतक (एमडीयू) ने उन कॉलेजों को संबद्धता देने से इनकार कर दिया था ।

(15) 2001 के सीडब्ल्यूपी 11923 से निपटते समय पहले ही बताए गए कारणों से, विश्वविद्यालय की कार्रवाई को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। नतीजतन, रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं और एमडीयू को याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित नए पाठ्यक्रमों को संबद्धता प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है।

2001 का सीडब्ल्यूपी 13674

(16) इस मामले में याचिकाकर्ता जेवीएमजीआरआर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, चरखी दादरी है। इसने एमसीए डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया और 30 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ एआईसीटीई द्वारा इसके लिए मंजूरी दी गई। याचिकाकर्ता ने शैक्षणिक वर्ष 2001-2002 के लिए प्रवेश क्षमता को 30 छात्रों से बढ़ाकर 45 छात्रों तक करने के लिए आवेदन किया था, जिसे एआईसीटीई ने अपने पत्र दिनांक 23 जुलाई 2001 द्वारा अनुमति दे दी थी। यह संस्थान एमडीयू से संबद्ध है, जिसने एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त सीटों को इस आधार पर मान्यता देने से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता ने बढ़ी हुई सीटों के लिए संबद्धता के अपने अनुरोध के साथ राज्य सरकार से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत नहीं किया था। इस संबंध में निर्भरता इस विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए क़ानून के क़ानून 38 पर रखी गई है। क़ानून 38 के खंड 4 का नोट इस प्रकार है:-

> "**नोट**: एक नया कॉलेज/संस्थान शुरू करने के लिए, या एक नया विषय/पाठ्यक्रम या अध्ययन के पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए, आवेदक/आवेदकों को निदेशक, उच्च शिक्षा से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसके बिना कोई आपत्ति नहीं होगी। संबद्धता के अनुरोध पर विचार किया जाएगा।"

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क यह है कि क़ानून 38 की उपरोक्त आवश्यकता केंद्रीय अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल है और इसलिए, शून्य है। इस विवाद में दम है. इस मुद्दे से पहले सिद्धांतों पर निपटना आवश्यक नहीं है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने जया गोकुल एजुकेशनल ट्रस्ट के मामले (सुप्रा) में एक समान प्रावधान को रद्द कर दिया था। इसलिए, हम मानते हैं कि क़ानून 38 के खंड 4 के नोट की उपरोक्त आवश्यकता जहां तक तकनीकी संस्थानों से संबंधित है, केंद्रीय अधिनियम के प्रतिकूल है और उस सीमा तक शून्य है।

(17) नतीजतन, इस रिट याचिका को अनुमति दी जाती है और एमडीयू को याचिकाकर्ता संस्थान की बढ़ी हुई सेवन क्षमता को मान्यता देने/संबद्धता प्रदान करने का निर्देश जारी किया जाता है, जैसा कि एआईसीटीई ने अपने दिनांक23जुलाई2001के पत्र द्वारा अनुमोदित किया है।

2001 का सीडब्ल्यूपी 14153

(18) याचिकाकर्ता वर्ष 1999 से बीआरसीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के नाम और शैली के तहत एक कॉलेज चला रहा है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी के अनुशासन में दूसरों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। यह एमडीयू से संबद्ध है। एआईसीटीई ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 30 छात्रों और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 40 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ इन पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी थी। याचिकाकर्ता ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रवेश क्षमता को 30 छात्रों से बढ़ाकर 60 छात्रों और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 40 छात्रों से बढ़ाकर 60 छात्रों तक करने के लिए एआईसीटीई में आवेदन किया था। दिनांक 14 जून, 2001 के पत्र द्वारा एआईसीटीई ने सूचना प्रौद्योगिकी विषय में प्रवेश क्षमता को 30 छात्रों से बढ़ाकर 40 छात्रों तक करने के लिए कॉलेज को अपनी मंजूरी दे दी, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी वृद्धि की अनुमति नहीं दी। हालाँकि, 3 अगस्त, 2001 को एक बाद के पत्र द्वारा एआईसीटीई ने राज्य सरकार को सूचित किया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी दोनों विषयों में कॉलेज की प्रवेश क्षमता 40 छात्रों से बढ़ाकर 60 छात्रों तक कर दी गई है। एमडीयू ने बढ़ी हुई सीटों को मान्यता नहीं दी क्योंकि कॉलेज ने राज्य सरकार से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत नहीं किया था। मान्यता को इसके परिनियम 38 के मद्देनजर अस्वीकार कर दिया गया था, जिसमें प्रावधान है कि नए विषयों/पाठ्यक्रमों को शुरू करने या एक नया कॉलेज शुरू करने के लिए सभी आवेदनों के साथ निदेशक, उच्च शिक्षा से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा, जिसके बिना कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा। मनोरंजन किया जाएगा. राज्य सरकार ने 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' नहीं दिया और इसलिए एमडीयू ने एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित बढ़ी हुई सीटों को मान्यता देने से इनकार कर दिया। जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, क़ानून का यह खंड जहां तक तकनीकी संस्थानों से संबंधित है, केंद्रीय अधिनियम के प्रतिकूल है और इसलिए, उस सीमा तक शून्य है। इसलिए, हम इस रिट याचिका को स्वीकार

करते हैं और एमडीयू को एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित बढ़ी हुई सीटों के संबंध में कॉलेज को मान्यता/संबद्धता प्रदान करने का निर्देश देते हैं ।

2001 का सीडब्ल्यूपी 14154

(19) याचिकाकर्ता ने बरवाला, पंचकुला में स्वामी देवी दयाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के नाम और शैली के तहत एक नया कॉलेज शुरू किया और इसे शुरू करने के लिए एआईसीटीई से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री स्तर का पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मंजूरी मांगी। 28 जून, 2001 के पत्र द्वारा, एआईसीटीई ने कॉलेज को 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ कक्षाएं शुरू करने की मंजूरी दे दी। इस अनुमोदन के आधार पर, विश्वविद्यालय ने कॉलेज को इस शर्त पर अनंतिम संबद्धता प्रदान की कि उसने (कॉलेज ने) राज्य सरकार से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त किया हो। राज्य सरकार ने उक्त प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार कर दिया. इसलिए, यह रिट याचिका।

(20) 2001 के सीडब्ल्यूपी 11923 में दर्ज कारणों से हम मानते हैं कि राज्य सरकार के पास 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जारी करने से इनकार करने की कोई शक्ति नहीं है और किसी भी मामले में याचिकाकर्ता को ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता वाला कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है और विश्वविद्यालय को एआईसीटीई द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार कॉलेज को संबद्धता देने का निर्देश दिया जाता है।

2001 का सीडब्ल्यूपी 14155

(21) याचिकाकर्ता ट्रस्ट वर्ष 1998 से द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम और शैली के तहत एक कॉलेज चला रहा है और सूचना प्रौद्योगिकी के अनुशासन में दूसरों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। एआईसीटीई ने शुरुआत में सूचना प्रौद्योगिकी विषय में 30 छात्रों की प्रवेश क्षमता को मंजूरी दी थी, लेकिन 14 जून, 2001 के अपने पत्र द्वारा प्रवेश क्षमता को 30 छात्रों से बढ़ाकर 60 छात्रों तक करने की अनुमति दी गई थी। एमडीयू ने बढ़ी हुई सीटों को मान्यता देने से इनकार कर दिया क्योंकि कॉलेज ने राज्य सरकार से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत नहीं किया था। खंड 4 परिनियम 38 का नोट जिसके आधार पर विश्वविद्यालय ने बढ़ी हुई सीटों के संबंध में संबद्धता देने से इनकार कर दिया था, पहले ही केंद्रीय अधिनियम के प्रतिकूल होने के कारण शून्य माना जा चुका है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, रिट

याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए, जिसे हम एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित सूचना प्रौद्योगिकी के अनुशासन में बढ़ी हुई सीटों के संबंध में एमडीयू को कॉलेज को मान्यता/संबद्धता प्रदान करने का निर्देश देते हैं।

2001 का सीडब्ल्यूपी 14156

(22) याचिकाकर्ता ट्रस्ट वर्ष 1998 से हरियाणा राज्य में एनसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसराना, जिला पानीपाल चला रहा है। अन्य बातों के अलावा, यह कंप्यूटर विज्ञान और एंडिग्नियरिंग के अनुशासन में शिक्षा प्रदान कर रहा है। एआईसीटीई ने कॉलेज को 90 छात्रों की प्रवेश क्षमता की मंजूरी दी थी। कॉलेज ने प्रदिनांक 14 जून, 2001 के पत्र द्वारा प्रवेश क्षमता को 90 छात्रों से बढ़ाकर 120 छात्रों तक करने के लिए आवेदन किया था। एआईसीटीई ने प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए कॉलेज को मंजूरी दे दी। जिस विश्वविद्यालय से कॉलेज संबद्ध है, उसने बढ़ी हुई सीटों को यह कहते हुए मान्यता देने से इनकार कर दिया कि कॉलेज ने राज्य सरकार से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त नहीं किया है। इसलिए, यह रिट याचिका।

(23) 2001 के सीडब्ल्यूपी 11923 से निपटते समय ऊपर बताए गए कारणों से, यह माना जाता है कि राज्य सरकार के पास 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' देने से इनकार करने की कोई शक्ति नहीं थी और विश्वविद्यालय ने संबद्धता न देकर गलती की थी। नतीजतन, इस रिट याचिका को अनुमति दी जाती है और विश्वविद्यालय को एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के अनुशासन में बढ़ी हुई सीटों को मान्यता देने/संबद्धता प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है।

2001 का सीडब्ल्यूपी 15229

(24) याचिकाकर्ता सोसायटी हरियाणा राज्य में एपीजे इंजीनियरिंग कॉलेज, सोहना, जिला गुड़गांव के नाम और शैली के तहत एक कॉलेज चला रही है। यह सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहा है। एआईसीटीई ने 30 छात्रों की प्रवेश क्षमता वाले इस पाठ्यक्रम के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी। बाद में कॉलेज ने शैक्षणिक वर्ष 2001-02 के लिए प्रवेश क्षमता 30 छात्रों से बढ़ाकर 40 छात्रों तक करने के लिए एआईसीटीई को आवेदन किया। दिनांक 14 जून, 2001 के पत्र द्वारा एआईसीटीई ने बढ़ी हुई सीटों को अपनी मंजूरी दे दी। कॉलेज एमडीयू से संबद्ध है। इस विश्वविद्यालय ने बढ़ी हुई सीटों के संबंध में कॉलेज को मान्यता/संबद्धता

प्रदान नहीं की क्योंकि कॉलेज राज्य सरकार से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करने में विफल रहा। इसलिए, यह रिट याचिका।

(25) एमडीयू द्वारा बनाए गए क़ानून के क़ानून 38 के खंड 4 पर ध्यान दें, जिस पर उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किया गया है, को केंद्रीय अधिनियम के प्रतिकूल होने के कारण शून्य माना गया है। मामले को देखते हुए, रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है और एमडीयू को सूचना प्रौद्योगिकी विषय में बढ़ी हुई सीटों के लिए कॉलेज को मान्यता/संबद्धता प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है।

2001 का सीडब्ल्यूपी 16198

(26) इस मामले में याचिकाकर्ता सोसायटी हरियाणा राज्य में टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज, भिवानी के नाम और शैली के तहत एक कॉलेज चला रही है और शिक्षा प्रदान कर रही है।विभिन्न तकनीकी विषयों में. एआईसीटीई ने अपने दिनांक 14 जून के पत्र द्वारा, 2001 में कॉलेज को एक नया पाठ्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी गई शैक्षणिक वर्ष 2001-02 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अनुशासन 30 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ। एमडीयू ने संबद्धता देने से इनकार कर दिया सूचना प्रौद्योगिकी के अनुशासन के संबंध में कॉलेज को इस आधार पर कि याचिकाकर्ता ने 'अनापत्ति' प्रस्तुत नहीं की राज्य सरकार से प्रमाण पत्र। इस संबंध में संदर्भ है बनाए गए क़ानूनों के क़ानून 38 के खंड 4 पर ध्यान दिया गया है एमडीयू द्वारा. क़ानून 38 में यह प्रावधान पहले ही 2001 के सीडब्ल्यूपी 13674में रखा जा चुका है जहां तक इसका संबंध है, केंद्रीय अधिनियम के प्रतिकूल होगा तकनीकी संस्थानों को. इस मामले को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका अनुमति दे दी गई है और एमडीयू को कॉलेज को संबद्धता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है सूचना प्रौद्योगिकी विषय में नये पाठ्यक्रम के संबंध में जैसा कि एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित है।

(27) उपर्युक्त के अनुसार सभी रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं और पार्टियों को प्रत्येक मामले में अपनी लागत स्वयं वहन करने की छूट दी गई है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का

अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

तुषार शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, कैथल, हरियाणा।